न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4132/2005/बीकानेर

उमाशंकर उर्फ मांगीलाल पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी धरनोक तहसील व जिला बीकानेर

....अपीलांट/वादी

बनाम

1. भारमल पुत्र साजनराम
2. मोहनलाल पुत्र भारमल
3. सम्पतराम पुत्र भारमल
4. गोकुलराम पुत्र भारमल
5. रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल

–समस्त जाति विश्नोई निवासीगण धरनोक तहसील व जिला बीकानेर।

....रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री एस.के.पुरोहित, अधिवक्तागण, रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः– 11–12–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं. 08/2001 में पारित निर्णय दिनांक 30–04–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कल्क्टर नोखा के समक्ष अपीलान्ट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 188 व 92–ए बाबत ग्राम धरनोक तहसील नोखा स्थित वाद पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को उभयपक्ष की बहस सुनकर आज्ञा दिनांक 15–12–2000 खारिज कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादीग ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–04–2005 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के संबंध में सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से बाध्यकारी नहीं है तथा मूल वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। यहीं नहीं मूल दावे की कार्यवाही में प्रतिवादीगण ने अपना कोई जवाबदावा पेश नहीं किया। इस कारण जब प्रतिवादी द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया तो वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानान्तर्गत अपास्त नहीं किया जा सकता। आगे बताया कि मूल दावे की कार्यवाही में विचारण न्यायालय वाद में तनकीयात कायम कर उनका विधिवत निस्तारण के बाद ही वादी के वाद को खारिज कर सकता था। अतः मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा पेश अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय को मामले में गुणावगुण पर साक्ष्य लेकर व आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित करना चाहिए था।

उनका तर्क है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वादी का वाद कौनसी विधि से बाधित है, इस बाबत प्रतिवादीगण ने कोई बिन्दु कथित नहीं किया। उनका यह भी तर्क है कि वादी के दावे को बिना तनकियात कायम किए खारिज करना विधि सम्मत नहीं है। इस दृष्टि से भी आलोच्य निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–12–2000 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को अपास्त करते हुए वादी के वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करने बाबत मामले को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत रेस्पोर्डेंट्स/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए आलोच्य निर्णय को तर्कसंगत, न्यायसंगत एवं विधिसम्मत कहा है। उनका कहना है कि वादी का वाद स्पष्टतया विधि से बाधित है तथा विवादित आराजियात बाबत वादी को किसी प्रकार का वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। आगे बताया कि प्रश्नगत रकबे में दादा की सम्पत्ति में पौत्र द्वारा अधिकार चाहा जा रहा है तथा इस हेतु दादा के जीवनकाल में पौंत्र को नियमानुसार हक प्राप्त नहीं होते। इस दृष्टि से भी दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कल्क्टर नोखा के समक्ष अपीलान्ट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 188 व 92-ए बाबत ग्राम धरनोक तहसील नोखा स्थित वाद पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को उभयपक्ष की बहस सुनकर आज्ञा दिनांक 15-12-2000 खारिज कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 30-04-2005 द्वारा निरस्त की।

8. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी के वाद में प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश नहीं किया है तथा जवाब पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी के वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पत्र में आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का उद्धरण लेते हुए निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-

1. वादी ने सम्पूर्ण भूमि अपने दादा भारमल की बताई है। वादी के कथनानुसार भारमल स्वयं जीवित है तो उसके जीवनकाल में वादी को कोई अधिकार न तो मिलता है न ही किसी भी कारण के तहत वादी में वेस्ट हुआ है, इस कारण वादी को कोई वादकारण हासिल नहीं होने से वादी वाद खारिज योग्य है।

2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटे के बेटे को धारा 8 के तहत कोई अधिकार नहीं मिलता जबकी पीडिसीजड सन के लडको को धारा 8 में अधिकार मिलता है, इस कारण वाद पत्र खारिज योग्य है।

3. वादग्रस्त भूमि भारमल प्रतिवादी एवं उसके भाईयों की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी अब खाता भी विभाजित हो गया है। वादग्रस्त एक खसरा संख्या 482 प्रतिवादी मोहनलाल का खरीदशुदा था, इस कारण वादी का भारमल व मोहनलाल की स्वअर्जित सम्पत्तियों में उनके

जीवनकाल में कोई अधिकार नहीं मिलता, इस कारण वाद पत्र निरस्त होने योग्य है।

वादी ने वाद पत्र में उल्लेखित किया कि वादग्रस्त भूमि वादी परिवार व प्रतिवादीगण के कब्जा अधिकार की खातेदारी हक–हकूक व कब्जा बाई बर्थ हिस्सा है एवं अपना पुश्तैनी हिस्सा का वादी अपने आपको खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने का मुस्तहक है। भारमल को भी वादग्रस्त भूमि अपने पिताजी से प्राप्त हुई है। हिन्दू विधि व प्रथा के अनुसार पुश्तैनी जायदाद परिवार के मुख्या के नाम ही रेकार्ड में दर्ज होती है।

9. वादी द्वारा मूल वाद व उपरोक्त प्रार्थना में उल्लेखित आधारों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम आधार ''विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, वादी किस प्रकार खातेदारी अधिकार चाहता है'' पूर्णतः तथ्यों का प्रश्न है, जो प्रश्न मूल वाद में साक्ष्य लेकर ही निर्णीत किया जा सकता है। जहां तक शेष आधार वाद कारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखित करना उचित रहेगा कि वादी द्वारा भूमि को विक्रय किया जाना अभिवचित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाद कारण शेष रहा है अथवा नहीं। यह भी पूर्णतः साक्ष्य का विषय है। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है। मात्र उसी आधार पर वाद निरस्त किया जा सकता है न कि इस आधार पर कि वाद कारण शेष रहा है अथवा नहीं। वादी ने अपने वाद पत्र में वादकारण का उत्पन्न होना प्रकट किया है।

10. जहां तक विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को अपास्त किए जाने के निष्कर्ष से सहमत होते हुए आक्षेपित निर्णय प्रदान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने आलोच्य आदेश में यह अंकित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2054–2057 के अनुसार विवादित भूमि भारमल पुत्र साजनराम के नाम खातेदारी दर्ज है औरर भारमल अभी जिन्दा है तथा प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 रूप में पक्षकार है और अपीलान्ट उसका

पौत्र है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि दादा के जीवनकाल में पौत्र इस वाद के माध्यम से अपना हक तय करवाना चाहता है, जिसका कि उसे दादा के जीवित रहते अधिकार नहीं है। चूँकि प्रश्नगत रकबा प्रथम दृष्टया पैतृक सम्पत्ति अवधारित होने के कारण इस बाबत साक्ष्य के बिन्दु का विधिवत परीक्षण किया जाना विधि सम्मत है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय विधिक प्रावधानों पर दृष्टिपात किए बिना ही विधि के विपरीत निर्णय पारित किया है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी ने आलोच्य आदेश भी इसी अनुरूप पारित किया है। इस प्रकार मामले में साक्ष्य का विषय सशक्त होंने के बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिनुसार निर्णय पारित नहीं किए है। अतः प्रश्नगत द्वितीय अपील में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर प्रकरण को विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन है।

12. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-04-2005 एवं सहायक जिला कलक्टर नोखा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-12-2000 खारिज किए जाते है। प्रकरण सहायक जिला कलक्टर नोखा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि मूल वाद की कार्यवाही में साक्ष्य एकत्रित करते हुए विवाद्यक कायम कर तथा समस्त पक्षकारों की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य